

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4270
27.03.2023 को उत्तर के लिए
अपशिष्ट प्रबंधन

4270. श्री रमेश बिन्दु :

श्री गोपाल जी ठाकुर :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इलेक्ट्रॉनिक और अन्य अपशिष्टों के सृजन और प्रबंधन के अनुपात में देश भर में पुनर्चक्रण इकाइयों की संख्या कितनी है;
- (ख) राज्य-वार कितना अपशिष्ट उत्पन्न और पुनर्चक्रण होता है;
- (ग) क्या सरकार इस संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशेष योजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए दरभंगा जो मिथिला का केन्द्र है, में प्लास्टिक, जैव-चिकित्सा और ठोस अपशिष्ट आदि के निपटान के लिए अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्थापित करने की कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/विघटन इकाइयों की कुल संख्या 567 है जिनकी समेकित वार्षिक क्षमता 17,22,624.27 टन प्रति वर्ष है, जिनमें से ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों की संख्या 208 है जिनकी कुल संस्थापित पुनर्चक्रण क्षमता 10,68,837.87 टन प्रति वर्ष है। वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 में इक्कीस (21) प्रकार के अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सृजित ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 16,01,155.36 टन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट की मात्रा 5,27,131.57 टन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत, अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादक मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों के माध्यम से अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम से हितधारकों में जागरूकता सृजन करने हेतु उत्तरदायी होंगे। पूरे देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन)

नियम के प्रवर्तन हेतु एक कार्य योजना मौजूद है। इस कार्य योजना में राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) योजना के माध्यम से आम जनता में जन-जागरूकता सृजित करने का घटक शामिल है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा आम जनता के लिए उनके ई-अपशिष्ट के उचित और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा मार्च, 2015 से मार्च, 2020 के दौरान 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के जोखिमों के विषय में लोगों में जागरूकता सृजित करने तथा उन्हें अपने ई-अपशिष्ट का निपटान करने की वैकल्पिक पद्धतियों के विषय में शिक्षित करने हेतु “इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय जोखिमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम” कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न शहरों में 1923 कार्यशालाएं और गतिविधियां आयोजित की गई थीं जिनमें लगभग 13,27,420 स्कूलों, कॉलेजों, निवासी कल्याण संघों, विनिर्माताओं, अनौपचारिक संचालकों, थोक उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि ने भाग लिया था। इसके अलावा, 1247 हरित ई-चैंपियनों/प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रशिक्षण उपकरण, विषय सामग्री, फिल्म, मुद्रित सामग्री, वीडियो और जिंगल आदि तैयार किए गए हैं जो इसी उद्देश्य से सृजित वेबसाइट (www.greene.gov.in) पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा 7 से 9 के छात्रों के लिए उपयुक्त **दीक्षा** प्लेटफॉर्म हेतु ऑनलाइन सामग्री भी तैयार की गई है और अध्यापकों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है।

(घ) मंत्रालय ने वर्ष 2016 में प्लास्टिक, ठोस और जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को व्यापक रूप से संशोधित किया है। ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और नगरपालिका प्राधिकरणों की होती है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 कार्यान्वयन/प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र (यूटी) प्रशासन और संबंधित राज्य/यूटी के एसपीसीबी/पीसीसी की है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे कि “स्वच्छ भारत मिशन-शहरी” के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती है।

बिहार सरकार ने बिहार राज्य में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीति/रोडमैप तैयार किया है जो दरभंगा क्षेत्र के लिए भी लागू है। नीति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

बिहार सरकार ने दरभंगा क्षेत्र में सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए उसके प्रणालन और गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए सामग्री पुनःप्राप्ति केन्द्र (एमआरएफ) की स्थापना पर भी विचार किया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और लैंडफिल के लिए स्थल अभिज्ञात किए गए हैं। ठोस अपशिष्ट का आगे और प्रसंस्करण करने और निपटान के लिए एकत्रित और पृथक्कृत किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत दरभंगा में 201.4 करोड़ की लागत के साथ एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) संयंत्र स्थापित के लिए एक परियोजना अनुमोदित की है।

जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

मुजफ्फरपुर में स्थित साझा जैवचिकित्सा अपशिष्ट शोधन केन्द्र द्वारा दरभंगा जिले में जैवचिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और निपटान की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 629 (अ) दिनांक 15.09.2016 और संशोधित अधिसूचना संख्या 21 (अ) दिनांक 13.01.2017 के माध्यम से जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत किए गए ई-अपशिष्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एकत्रित और प्रसंस्कृत किया गया ई -अपशिष्ट-(टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	2021.19
2.	असम	67.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.78
4.	बिहार	41.07
5.	छत्तीसगढ़	4167.90
6.	चंडीगढ़	67.92
7.	दिल्ली	2130.79
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	12.34
9.	गुजरात	30569.32
10.	हरियाणा	245015.82
11.	हिमाचल प्रदेश	373.20
12.	जम्मू और कश्मीर	561.61
13.	झारखंड	366.71
14.	कर्नाटक	39150.63
15.	केरल	1249.61
16.	मध्य प्रदेश	553.59
17.	महाराष्ट्र	18559.30
18.	मिजोरम	14.85
19.	ओडिशा	477.54
20.	पंजाब	28375.27
21.	पुदुचेरी	31.77
22.	राजस्थान	27998.77
23.	सिक्किम	8.47
24.	तमिलनाडु	31143.21
25.	तेलंगाना	42297.68
26.	त्रिपुरा	13.67
27.	उत्तराखंड	51541.12
28.	पश्चिम बंगाल	320.44
	कुल	5,27,131.57
